न्यायालय सहायक कलक्टर(SDO),मावली जिला उदयपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S.

पत्रावली संख्या : 13/22 (प्रा0पत्र)

GCMS No. : 2022/47

अनवान्

1. श्रीमती मगनीबाई पत्नी गंगाराम ब्राहम्ण निवासी चन्देसरा तह. मावली।
2. श्री गेहरीलाल पिता गंगाराम ब्राहम्ण निवासी चन्देसरा तह. मावली।
3. श्री उदयलाल पिता गंगाराम ब्राहम्ण निवासी चन्देसरा तह. मावली।
4. श्री सुन्दरलाल पिता गंगाराम ब्राहम्ण निवासी चन्देसरा तह. मावली।

.............प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री गोपीलाल पिता शंकर ब्राहम्ण निवासी चन्देसरा तह. मावली।
2. श्री मगनीराम पिता उंकार ब्राहम्ण निवासी चन्देसरा तह. मावली।
3. पटवारी, पटवार हल्का चन्देसरा तह. मावली।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तह. मावली।
5. उप पंजीयक अधिकारी मावली तह. मावली।

................विपक्षीगण

उपस्थित–1. श्री दिनेश डांगी, अधिवक्ता प्रार्थीगण।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–: : निर्णय : :–

दिनांक : 28.11.2024

1. प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् प्रस्तुत किया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि चन्देसरा पटवार हल्का चन्देसरा की आराजी नम्बर 3086, 3087, 3093, 3096, 3099, 3100, 3111, 3112, 3113, 3114, 3115, 3116 किता 12 कुल रकबा 1.0845 हेक्टेयर उक्त वर्णित कृषि भूमि प्रार्थी संख्या 1 के नाम 1/12 हिस्सा, प्रार्थी संख्या 2 के नाम 1/12 हिस्सा, प्रार्थी संख्या 3 के नाम 1/12 हिस्सा, प्रार्थी संख्या 4 के नाम 1/12 हिस्सा, विपक्षी संख्या 1 के नाम 1/4 हिस्सा, विपक्षी संख्या 2 के नाम 1/4 हिस्सा, निलकण्ठ पिता गंगाराम के नाम 1/12 हिस्सा, पुष्पाबाई पुत्री गंगाराम के नाम 1/12 हिस्सानुसार वर्तमान राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में संयुक्त रूप से दर्ज है।
2. यह कि प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात में वर्तमान राजस्व रेकार्ड में हम प्रार्थीगण एवं विपक्षी सं. 1, 2 व अन्य सहखातेदार के नाम संयुक्त रूप से खातेदारी हक से दर्ज है तथा मौके पर भी हम सहखातेदारान के मध्य विधिवत रूप से बंटवाडा किया हुआ नहीं होने से हम प्रार्थीगण एवं विपक्षी संख्या 1, 2 व अन्य सहखातेदार सुविधा अनुसार अपने

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.12.18 16:50:14 IST
Reason: SelfAttested

हिस्से अनुसार उक्त वर्णित कृषि आराजीयात पर संयुक्त रूप से काबिज हो काश्त करते चले आ रहे हैं।

3. यह कि प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात रेवेन्यु रेकार्ड में संयुक्त खातेदारी में दर्ज होने से एवं मौके पर विधिक रूप से विभाजन किया हुआ नहीं होने से हम प्रार्थीगण को अपने हिस्से की भूमि को काश्त योग्य बनाने हेतु ऋण आदि लेने एवं अपने हिस्से की भूमि को उपजाऊ बनाने, विकास करने, चार दिवारी करने इत्यादि में काफी कठिनाई का सामना करना पड रहा है और हम प्रार्थीगण अपने हक हिस्से की भूमि का समुचित ढंग से उपयोग उपभोग नहीं कर पा रहे है। इसलिए उक्त वर्णित कृषि भूमि का हम प्रार्थीगण एवं विपक्षी संख्या 1, 2 व अन्य सहखातेदार के मध्य मौके पर मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर अर्थात् अच्छी में से अच्छी व खराब में से खराब भूमि की किस्म के आधार पर राजस्व रेकार्ड में अंकित हिस्सेनुसार जरिये भूमिधारी तहसीलदार मावली द्वारा कानूनी रूप से बंटवाडा कराया जाना आवश्यक है। इसलिए हम प्रार्थीगण की ओर से माननीय न्यायालय आपमें वाद पत्र प्रस्तुत कर दिया हैं।

4. यह कि हम प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया मामला है क्योंकि वाद वर्णित कृषि आराजीयात संयुक्त खातेदारी की होकर मौके पर विधिक रूप से विभाजन किया नहीं है जिससे हम प्रार्थीगण व विपक्षी संख्या 1, 2 व अन्य सहखातेदार संयुक्त रूप से सुविधा अनुसार काश्त करते आ रहे है लेकिन उक्त भूमि का मौके पर विधिक रूप से विभाजन नहीं होने के कारण विपक्षी संख्या 1, 2 आपस में मिलीभगत कर आये दिन हम प्रार्थीगण एवं हमारे परिवार के सदस्यों के साथ गाली गलोच कर लडाई झगडा करते है और हमें हमारी संयुक्त खातेदारी की भूमि का उपयोग उपभोग शांतिपूर्वक नहीं करने देते है तथा हमें हमारी संयुक्त खाते व कब्जे की कृषि भूमि से जबरन बेदखल करने की धमकीयां देते है और बिना बंटवाडा करवाये संयुक्त खातेदारी व संयुक्त कब्जे की भूमि के विशेष भू–भाग को खुर्द बुर्द करने पर आमादा हो रहे है जबकि विपक्षी संख्या 1, 2 को ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए हम प्रार्थीगण विपक्षीगण के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने के अधिकारी है कि विपक्षी संख्या 1, 2 हम प्रार्थीगण को संयुक्त खातेदारी की भूमि में शांतिपूर्वक कृषि कार्य कर उपयोग उपभोग करने देवे, किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करे, बेदखल नहीं करे, बिना बंटवाडा करवाये विशेष भू भाग पर कब्जा नहीं करे, रहन बैह बक्षीस आदि द्वारा हस्तान्तरित नीं करे, उक्त कार्य न स्वयं करे, न अपने नौकर चाकर एजेन्ट इत्यादि के मार्फत ही करावें। अस्थाई निषेधाज्ञा जारी होने से विपक्षीगण को कोई क्षति या नुकसान होने वाला नहीं है बल्कि अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं होने से मुझ प्रार्थी को अतुलनीय एवं अपूरणीय क्षति होगी जिसका मूल्यांकन रूपयों पैसों में आंका जाना सम्भव नहीं होगा। सुविधा का संतुलन व अशोधनीय क्षति के बिन्दू भी हम प्रार्थीगण के पक्ष में हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.12.18 16:50:14 IST
Reason: SelfAttested

5. यह कि हम प्रार्थीगण को विपक्षीगण के विरूद्व प्रार्थना पत्र कारण दिनांक 21.01.2022 को पैदा हुआ जब विपक्षी संख्या 1, 2 ने हम प्रार्थीगण को संयुक्त खाते एवं संयुक्त कब्जे की कृषि भूमि के उपयोग उपभोग करने में दखलन्दाजी कर व्यवधान पैदा किया और बिना बंटवाडा करवाये विशेष भू भाग की जमीन को खुर्द बुर्द करने की धमकी दी, लडाई झगडा किया तथा समझाईश करने पर भी नहीं माने। जिससे प्रार्थना पत्र कारण उत्पन्न होकर निरन्तर जारी हैं।
6. अन्त में निवेदन किया कि हम प्रार्थीगण के पक्ष में एवं विपक्षीगण के विरूद्व इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावे कि विपक्षी संख्या 1, 2 प्रार्थना पत्र में वर्णित संयुक्त खाते व कब्जे की कृषि भूमि का प्रार्थीगण को शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवे, बेदखल नहीं करे, बिना बंटवाडा करवाये विशेष भू भाग पर कब्जा नहीं करे, रहन बैह बक्षीस आदि द्वारा हस्तान्तरित नहीं करे, किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करे, नुकसान नहीं पहुंचावें, उक्त कार्य न स्वयं करे, न अपने नौकर चाकर एजेन्ट इत्यादि से ही करावें, राजस्व रेकार्ड एवं मौके की यथावत् स्थिति बनाये रखें।
7. पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी सं. 1, 2 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्व पूर्व में एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये जा चुके हैं।
8. प्रकरण में अधिवक्ता प्रार्थीगण की एकतरफा बहस सुनी गईं। अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने का निवेदन किया।
9. हमने विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण की एकरतफा बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि मौजा चन्देसरा पटवार हल्का चन्देसरा तह. मावली हाल घासा की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2077–80 के खाता सं. 159 पर दर्ज आराजी नम्बर 3086, 3087, 3093, 3096, 3099, 3100, 3111, 3112, 3113, 3114, 3115, 3116 किता 12 कुल रकबा 1.0845 हेक्टेयर भूमि प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण के नाम हिस्सेनुसार दर्ज हैं। प्रार्थीगण द्वारा उक्त आराजीयात के सम्बन्ध में बंटवाडे का वाद प्रस्तुत किया हैं। विपक्षीगण वादग्रस्त भूमि का सहखातेदार हैं। सहखातेदार के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो इससे उसके हक अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पडेगा। विपक्षी सं. 1, 2 सहखातेदार होने से प्रथम दृष्टया मामला विपक्षी सं. 1, 2 के पक्ष में प्रतीत होता हैं तथा साथ ही विपक्षी सं. 1, 2 के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने से विपक्षी सं. 1, 2 को अपूरणीय क्षति हो सकती हैं। न्यायालय का विनम्र मत है कि विपक्षीगण वादग्रस्त भूमि के हिस्सेनुसार रेकार्डेड खातेदार हैं। खातेदार के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा दिया जाना न्यायोचित नहीं हैं। इसलिए प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.12.18 16:50:14 IST
Reason: SelfAttested

के बिन्दु भी प्रार्थीगण के विरूद्ध निर्णित किये गये है। अतः उपरौक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं पाया जाता है।

—: आदेश :—

परिणामस्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अस्वीकार कर खारिज किया जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 28.11.2024 को जारी की गई।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO)मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.12.18 16:50:14 IST
Reason: SelfAttested